"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 मार्च 2025 — फाल्गुन 12, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 मार्च 2025

क्र. 2087/डी. 26/21—अ/प्रारू./छ.ग./25.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 14—01—2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी हैं, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप—सचिव.

छत्तीसगढ़ **अधिनियम**

(क्रमांक 7 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) **अधिनियम**, 2024.

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा **निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–**

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) **यह अधिनियम छत्तीसगढ़** भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 30 का संशोधन 2. छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जो **इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है**) की **धारा 30 की उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित** उप–धारा जोड़ी जाये, अर्थात्:–

"(3)इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन, राजस्व अधिकारी/राजस्व न्यायालय किसी दस्तावेज, प्रकरण, फाईल इत्यादि को डिजिटल स्वरूप में ऐसी रीति से मंगवा सकेगा, जैसा कि राज्य शासन विनिश्चित/अधिसूचित करे।"

धारा 33 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाये, अर्थात्:–

"(5) इस संहिता के प्रावधान के अधीन ऐसे सभी डिजिटल प्लेटफार्म, जिन्हें राज्य सरकार विहित करे, नोटिस/सूचना भेजने हेतु मान्य होंगे।"

4. मूल अधिनियम की धारा 110 की उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात्:— धारा 110 का संशोधन

"परन्तु यह कि, किसी खाते के संबंध में, यदि किसी भी प्रकार का निर्णयादेश किसी सक्षम न्यायालय में लंबित न हो, भू–रिकार्ड अद्यतन हो, उस खाते से संबंधित ग्राम का जियो रिफ्रेन्सिग कार्य पूर्ण कर लिया गया हो तथा ऐसे अधिकार के अर्जन का पंजीयन कर लिया गया हो, ऐसे खाते ऐसी रीति से, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, स्वतः नामांतरित किये जा सकेंगे।"

5. **मूल अधिनियम की धारा 165 की उप–धारा (7–ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अन्तःस्थापित की जाये, अर्थात्:—** धारा 165 का संशोधन.

"(7–ग) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि के अर्जन की प्रक्रिया हेतु अपेक्षक निकाय से किसी प्रस्ताव के प्राप्त होने पर या भू–अर्जन की प्रक्रिया हेतु किसी अधिसूचना के जारी होने पर या खनन के लिए किसी आशय पत्र के जारी होने पर उक्त भूमि का अंतरण नहीं किया जाएगा।"

6. मूल अधिनियम की धारा 172 की उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अन्तः स्थापित की जाये, अर्थात्:— धारा 172 का संशोधन.

"(2–क) उप–धाराओं (1) एवं (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपेक्षक निकाय से किसी प्रस्ताघ के प्राप्त होने पर या भू–अर्जन की प्रक्रिया हेतु किसी अधिसूचना के जारी होने पर या खनन के लिए किसी आशय पत्र के जारी होने पर उक्त भूमि का व्यपवर्तन नहीं किया जाएगा।"

7. मूल अधिनियम की धारा 178 – ख की उप–धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाये, अर्थात्:— धारा 178–ख का संशोधन.

"(6) उपरोक्त उप–धाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपेक्षक निकाय से किसी प्रस्ताव के प्राप्त होने पर या भू–अर्जन की प्रक्रिया हेतु किसी अधिसूचना के जारी होने पर या खनन के लिए किसी आशय पत्र के जारी होने पर उक्त भूमि का खाता विभाजन नहीं किया जाएगा।"

CHHATTISGARH ACT

(No. 7 of 2025)

THE CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2024.

An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Five Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 30.

2. After sub-section (2) of Section 30 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following sub-section shall be added, namely:-

"(3) Under the provisions of this Code or any other enactment for the time being in force, the Revenue Officer/ Revenue Court may call for

any document, case, file etc. in digital form in such manner as may be determined/notified by the State Government."

3. After sub-section (4) of Section 33 of the Principal Act, the following sub-section shall be added, namely:- **Amendment of Section 33.**

"(5) All such digital platforms, which the State Government may prescribe, shall be valid for sending notice/ information under the provision of this Code."

4. After sub-section (1) of Section 110 of the Principal Act, the following proviso shall be added, namely:- **Amendment of Section 110.**

"Provided that in respect of any holding, if there is no adjudication pending in any court of law, the land record is up to date, the geo-referencing work of the village, related to that holding, has been completed, and registration of

such acquisition of right has been done, such holding may be automatically mutated in such manner as may be prescribed by the State Government.

Amendment of Section 165.

5. After sub-section (7-b) of Section 165 of the Principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(7-c) **Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no land shall be transferred on receipt of any proposal for acquisition process from the requiring body or on issuance of any notification for land acquisition process or on issuance of any letter of intent for mining.**"

Amendment of Section 172.

6. After sub-section (2) of Section 172 of the Principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(2-a) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), no land shall be diverted on receipt of any proposal for acquisition process from the requiring body or on issuance of any notification for land acquisition process or on issuance of any letter of intent for mining."

Amendment of Section 178-B.

7. After sub-section (5) of Section 178-B of the Principal Act, the following sub-section shall be added, namely:-

"(6) Notwithstanding anything contained in the above sub-sections, no land shall be partitioned in holding, on receipt of any proposal for acquisition process from the requiring body or on issuance of any notification for land acquisition process or on issuance of any letter of intent for mining."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.